फर्द अहकाम

रामनिवास बनाम कानाराम

नाम न्यायालय S.D.O जयपुर, Jaipur

केस संख्या Suit 119/11

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/02/18	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा. आवेदन O7 R11 C.P.C स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया है। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सर ईजलास सुनाया गया। उप [illegible] अधिकारी। जयपुर (प्रथम), जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

राजस्व वाद संख्या :– 119/2011

पीठासीन अधिकारी : आशीष कुमार , आर0ए0एस0

1. रामनिवास
2. मुकेश

   पुत्रान कानाराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
3. गुलाब पत्नि बाबूलाल पुत्री कानाराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. प्रभाती देवी पत्नि राजूलाल, पुत्री कानाराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बस्सी।
5. सोनी देवी पत्नि कालूराम पुत्री कानाराम, जाति कुम्हार, निवासी गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. सीता देवी पत्नि लालचन्द, पुत्री कानाराम, जाति कुम्हार, निवासी बेगस, जयपुर।
7. अंकिता पत्नि कमलेश, पुत्री कानाराम, जाति कुम्हार, निवासी लाखा भांकरोटा, जयपुर।
8. गणेश पुत्र बिरदा,
9. दिनेश पुत्र बिरदा,

   जाति कुम्हार, निवासीगण बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
10. गेंदी पत्नि सोहनलाल पुत्री बिरदा, जाति कुम्हार, निवासी नरहरपुरा, चाकसू, जिला जयपुर।
11. गीता पत्नि लालचन्द पुत्री बिरदा, जाति कुम्हार, निवासी बनस्थली, तह. निवाई, जिला टोंक।
12. सुमन पत्नि कन्हैयालाल, पुत्री बिरदा, जाति कुम्हार, निवासी प्लाट नं. 41, गणेश विहार कॉलोनी, मुकन्दपुरा रोड, भांकरोटा, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र सूजा।
2. बिरदाराम पुत्र सूजा।

   जाति कुम्हार, निवासीगण बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

3. श्रीमती उषा सिंह पत्नी जी.एस. शेखावत, जाति राजपूत, निवासी केहरपुर कंला, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी 176, सेक्टर 3, चित्रकूट, अजमेर रोड, जयपुर।
4. अपेशा शेखावत पुत्री जी.एस. शेखावत, जाति राजपूत, निवासी केहरपुर कंला, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी 176, सेक्टर 3, चित्रकूट, अजमेर रोड, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर तहसील, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक जयपु, तहसील व जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय **दिंनाक– 16.02.2018**

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 3 व 4 की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उपरोक्त शीर्षकीय दावा ग्राम बिन्दायका में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 326/697 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 326/698 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 411/754 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा को पुश्तैनी अपने दादा सूजा पुत्र लाला की खातेदारी में दर्ज रहने के पश्चात् सूजा की मृत्युरान्त उसका नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 13.08.1996 में वादीगण के पिता कानाराम एवं बिरधाराम के खातेदारी में आना बताकर उसमें वादीगण का हक हिस्सा होने की घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त दावा यह कहते हुए पेश किया है कि, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण से नाराज हो गये, जो भूमि को बेचने की धमकी देते है तथा दिनांक 20/21.08.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के कुछ लोग खसरा नम्बर 30 व 31 में आकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जमीन बेचने की धमकी देने लगे, जिस पर पंजीयक कार्यालय में दिनांक 24.08.2011 को जाने पर खसरा नम्बर 30 व 31 की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेचने की जानकारी हुई, जो विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले बेदम व बेअसर तथा प्रथावशून्य होने का कथन किया तथा विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने का भी कथन किया

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

है, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया है तथा पत्रावली आज की पेशी में सुनवाई हेतु नियत है।

प्रकरण की खसरा नम्बर 30 व 31 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कानूनन रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होने की हैसियत से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2008 से प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय की है, जो विक्रय पत्र सिविल न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया से प्रभावशून्य घोषित किये बिना वादीगण का वाद पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से बार्ड बाई लॉ है तथा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2008 को निरस्त घोषित करवाये जाने हेतु किये गये दीवानी मुकदमें उनवानी क्रमशः गणेश बनाम कानाराम मुकदमा संख्या 160/2011 व रामनिवास बनाम कानाराम मुकदमा संख्या 161/2011 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 7 महानगर जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 11.09.2017 के जरिए खारिज फरमाकर दाखिल दफ्तर कर दिये है। इसलिये भी वादीगण का वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 30 व 31 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में वैधानिक तरीके से खातेदारी हक व अधिकार में आने के पश्चात् उन्होनें उस भूमि को वैधानिक तरीके से तन्हा मालिक काबिज खातेदार होने की है हैसियत से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय की है तथा विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2008 के आधार पर खसरा नम्बर 30 व 31 भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है तथा वे उसके काबिज खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार खसरा नम्बर 30 व 31 की भूमि में वादीगण का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं होने से भी वादीगण का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष बार्ड बाई लॉ है तथा वाद पत्र खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 30 व 31 का विक्रय पत्र वादीगण की जानकारी में दिनांक 05.04.2008 को हुआ है तथा वादीगण ने उपरोक्त शीर्षकीय दावा माननीय न्यायालय के समक्ष 3 वर्ष की समयावधि गुजर जाने के पश्चात् माह सितम्बर सन् 2011 में पेश किया है। इसलिये मियाद अधिनियम के तहत भी वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से उपरोक्त प्रकरण का वाद पत्र रद्द किये जाने योग्य है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 07R11 CPC का प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 गलत, मिथ्या एवं अनुचित होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

स्कॉप एवं परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा इस मद में अंकित कथन "तथ्यो का मिश्रण" है। जिनको उक्त प्रतिवादीगण अपने जवाबदावा में अंकित कर सकते है। इस मद में अंकित तथ्य विवाधक में अंकित कर सकते है। इस मद में अंकित तथ्य विवाधक के अर्न्तगत सक्षम साक्ष्य से परीक्षित किये जा सकते है। इस स्टेज पर उक्त तथ्य अनुचित, सारहीन, अर्थहीन है। यह कथन सही व सत्य है कि इस मद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा है। यह कथन भी सही व सत्य है कि उक्त भूमि में वादीगण का हक–हिस्सा व अधिकार निहित है। यह कथन भी सही व सत्य है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में पंजीबद्व विक्रय पत्र वादीगण के अधिकारो के विरूद्व बेदम, बेअसर व प्रभावशुन्य है। यह कथन भी सही व सत्य है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा दिनांक 30/21.08.2011 को मौके पर आकर धमकी देने पर उक्त विक्रय पत्र की जानकारी हुई। यह कथन भी सही व सत्य है कि वादीगण ने उक्त विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दे दी। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने इस मद में उक्त तथ्य अंकित करके आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में स्थापित विधि के अर्न्तगत क्या कहना चाहते है जो इस मद में स्पष्ट नहीं किया है। इस मद में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधी एवं स्कॉप के अर्न्तगत ही नहीं आते है। इस मद में अंकित तथ्य सक्षम साक्ष्य से परीक्षण किये जाने योग्य है जो माननीय न्यायालय द्वारा विवाधक कायम करने के पश्चात् प्रकरण साक्ष्य में नियत होने पर परीक्षित किये जायेगे। इस स्टेज पर उक्त तथ्य अनावश्यक व अनुचित है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, गलत, अनुचित एवं अनावश्यक होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2008 वादीगण के अधिकारो के विरूद्व प्रारम्भ से ही शुन्य, नल एण्ड वोईड है। जिसका निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। वादीगण का वाद पत्र बार्ड बाई लॉ कत्तई नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा इस मद में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इस मद में अंकित तथ्यो को अपने जवाबदावा में अंकित कर सकते है। जिस पर तनकीयात कायम होकर बरवक्त साक्ष्य उक्त तथ्य परीक्षित किये जाने योग्य है। इस स्टेज पर उक्त तथ्य अनावश्यक व अनुचित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित तथ्य अनावश्यक

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

व अनुचित होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित तथ्य भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधी एवं स्कॉप के अर्न्तगत नहीं आते है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम–7, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा विक्रय पत्र निरस्तीकरण का वाद अदम हाजिरी, अदम पैरवी में दाखिल दफ्तर किये गये है जो गुणावगुंण पर खारिज नहीं हुए है। जिनको रेस्टोर किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त आधार पर वादीगण का मौजूदा वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है। मौजूदा वाद घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है और उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष केवल और केवल मात्र राजस्व न्यायालय ही प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा इस मद में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के स्कॉप एवं परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कॉप सीमित है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य भी गलत, अनावश्यक व अनुचित होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित तथ्य भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। इस मद में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 30 व 31 का वैधानिक खातेदार व काबिज अधिकारी होना एवं विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक होना और उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होना अंकित किया है जो सर्वथा गलत है। उक्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने जवाबदावा में अंकित कर सकते है जो साक्ष्य से परीक्षण किये जाने योग्य है। बिना साक्ष्य परीक्षण के इस स्टेज पर उक्त तथ्यों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। इस मद में अंकित तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य अनावश्यक व अनुचित होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित तथ्य भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप एवं परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। वादीगण का दावा घोषणा के साथ–साथ विभाजन के पुश्तैनी व पैतृक खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जो राजस्व न्यायालय द्वारा श्रवण एवं निर्णित किया जाना है। उक्त वाद के लिए के लिए 3 वर्ष की समयावधि का कोई विधिक प्रावधान विधि में स्थापित नहीं है। इस मद में अंकित तथ्य, "तथ्यो का मिश्रण" है जो सक्षम साक्ष्य से परीक्षण किये जाकर ही निस्तारित किये जा सकते है। इस स्टेज पर बिना साक्ष्य परिक्षण के उक्त तथ्यों का निस्तारण

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस मद में अंकित तथ्य भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधी एवं स्कॉप के अर्न्तगत नहीं आते है। वादीगण का दावा बार्ड बाई लॉ नहीं है। वादीगण का दावा भरपूर पोषण से पोषित प्राप्त होने के कारण पोषणीय है जो झूँठे प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किये जाने योग्य नहीं है बल्कि सक्षम साक्ष्यो के आधार पर परीक्षण करके गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इस प्रार्थना पत्र में वॉछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादीगण को त्वरित व शीघ्र न्याय से वंचित करने के उद्वेश्य से, प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भारी कोस्ट पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप एवं परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। इस आधार पर उक्त प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कथन "तथ्यो का मिश्रण" है। जिनको उक्त प्रतिवादीगण अपने जवाबदाता में अंकित कर सकते है जो विवाधक के अर्न्तगत सक्षम साक्ष्य से परीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निर्णित किये जो सकते है। इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अनुचित, सराहीन, अर्थहीन है। अंकित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2008 वादीगण के अधिकारो के विरूद्व प्रारम्भ से ही शुन्य, नल एण्ड वोईड है। जिसका निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम–7, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा विक्रय पत्र निरस्तीकरण का वाद अदम हाजिरी, अदम पैरवी में दाखिल दफ्तर किये गये है जो गुणावगुंण पर खारिज नहीं हुए है। जिनको रेस्टोर किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त आधार पर वादीगण का मौजूदा वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है। मौजूदा वाद घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है और उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष केवल और केवल मात्र राजस्व न्यायालय ही प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा इस मद में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप एवं परिधी के अर्न्तगत नहीं आते है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप सीमित है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 30 व 31 का वैधानिक खातेदार व काबिज अधिकारी होना एवं विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक होना और उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होना

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

अंकित किया है जो सर्वथा गलत है। उक्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने जवाबदावा में अंकित कर सकते है जो साक्ष्य से परिक्षण किये जाने योग्य है। बिना साक्ष्य परीक्षण के इस स्टेज पर उक्त तथ्यो के आधार पर वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अंकित तथ्य साक्ष्य से परिक्षण किये जाने योग्य है। इसलिये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के स्कॉप के अर्न्तगत नहीं आते है। वादीगण का दावा घोषणा के साथ–साथ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है। उक्त वाद के लिए 3 वर्ष की समयावधि का कोई विधिक प्रावधान विधि में स्थापित नहीं है। वादीगण का दावा बार्ड बाई लॉ नहीं है। वादीगण का दावा भरपूर पोषण प्राप्त होने के कारण पोषणीय है जो झूँठे प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किये जाने योग्य नहीं है बल्कि सक्षम साक्ष्यो के आधार पर परीक्षण करके गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इस प्रार्थना पत्र में वॉछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादीगण को त्वरित व शीघ्र न्याय से वंचित करने के उद्वेश्य से, प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भारी कोस्ट पर खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 07R11 CPC पर उभय–पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा प्रार्थना पत्र व उसके जवाब का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 326/697 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 326/698 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 411/754 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा को पुश्तैनी अपने दादा सूजा पुत्र लाला की खातेदारी में दर्ज रहने के पश्चात् सूजा की मृत्युरान्त उसका नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 13.08.1996 में वादीगण के पिता कानाराम एवं बिरधाराम के खातेदारी में आना बताकर उसमें वादीगण का हक हिस्सा होने की घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त दावा यह कहते हुए पेश किया है कि, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण से नाराज हो गये, जो भूमि को बेचने की धमकी देते है तथा दिनांक 20/21.08.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के कुछ लोग खसरा नम्बर 30 व 31 में आकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जमीन बेचने की धमकी देने लगे, जिस पर पंजीयक कार्यालय में दिनांक 24.08.2011 को जाने पर खसरा नम्बर 30 व

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

31 की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बेचने की जानकारी हुई, जो विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले बेदम व बेअसर तथा प्रभावशून्य होने का कथन किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी बहस पर मनन, पत्रादि के अवलोकन बाद इस निर्णय पर पहुॅचा है कि संबंधित खसरो के विक्रय पत्र आदि के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है ऐसे में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आज दिनाक 16.02.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर